भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1678

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

1678. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कितने और किन-किन जिलों में लागू की गई है और कितने स्थानीय फेरीवालों को ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में वर्ष-वार कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस योजना से कितने जनजातीय लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) राज्य में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी पुरूषों और महिलाओं का अनुपात कितना है; और

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): जी हां, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिन जिलों में योजना क्रियान्वित की गई है तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) से (ङ): आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा योजना को दी गई मंजूरी के अनुसार, दिसंबर 2024 तक योजना के तहत पहली अवधि के ऋणों के लिए 42 लाख, दूसरी अवधि के ऋणों के लिए 12 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों की तुलना में 24.07.2024 तक पहली अवधि के ऋणों के लिए

64.78 लाख, दूसरी अवधि के ऋणों के लिए 18.50 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3.24 लाख ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।

दिनांक 24.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी) लाभार्थियों की संख्या 6600 है।

देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 45% लाभार्थी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में, इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से 48% लाभार्थी महिलाएं हैं।

(च): पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधियाँ आवंटित नहीं की जा रही है। इस योजना के तहत ऋण सीधे ऋणदाता संस्थाओं द्वारा संवितरित किए जाते हैं।

***

01 अगस्त, 2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1678 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित पथ विक्रेताओं (जनजातीय सहित) की जिले-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(24.07.2024 तक)

क्र.सं.	**ज़िला**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	बालोद	885
2	बलौदाबाजार	1,290
3	बलरामपुर	349
4	बस्तर	1,894
5	बेमेतरा	581
6	बीजापुर	376
7	बिलासपुर	7,975
8	दांतेवाड़ा	794
9	धमतरी	2,089
10	दुर्ग	20,615
11	गरियाबंद	577
12	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	432
13	जांजगीर-चंपा	1,862
14	जशपुर	1,043
15	कबीरधाम	822
16	कांकेर	1,086
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	0
18	कोंडागांव	815
19	कोरबा	5,457
20	कोरिया	1,480
21	महासमुंद	1,049
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	492
23	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	0
24	मुंगेली	707

क्र.सं.	**ज़िला**	**लाभार्थियों की संख्या**
25	नारायणपुर	249
26	रायगढ़	3,341
27	रायपुर	20,134
28	राजनांदगाव	2,423
29	सकती	297
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	401
31	सरगुजा	1,687
32	सुकमा	453
33	सूरजपुर	755
	कुल	82,410

(स्रोत: पीएमएस पोर्टल)